

(11)

68

७/१५-५०५५

No 5505/14
7/1/13१२/१/१३
२५/१/१३उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-1संख्या- /XVIII(1)/2013-2(4)/2008
देहरादून: दिनांक: 16 अगस्त, 2013अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 के खण्ड (25) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, जिला चमोली की तहसील जोशीमठ के राजस्व ग्राम सलूडुंग्रा के डुंग्रा जिसकी गाटा संख्या और क्षेत्रफल इत्यादि नक्शे की प्रति सहित संलग्न है, को पृथक कर राजस्व ग्राम गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात से किसी विधि न्यायालय में, जिसमें उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3- इस प्रकार गठित नये राजस्व ग्राम डुंग्रा में सम्मिलित किये गये गाटों की संख्या व क्षेत्रफल आदि की सूची नक्शे की प्रति सहित संलग्न है।

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या- / (1)/XVIII(1)/2013 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इसे विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में प्रकाशित कराकर मुद्रित अधिसूचना की 20-20 प्रतियां राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं जिलाधिकारी, चमोली को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव

66

अधिसूचना संख्या- 1285 (1)/XVIII(1)/2013-2(4)/2008 दिनांक 16 अगस्त, 2013 का
संलग्नक

नये राजस्व ग्राम में सम्मिलित किये गये गाटों की संख्या व क्षेत्रफल

गाटा संख्या	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ-1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित है।	ग्राम सभा का नाम जिसमें स्तम्भ-1 में उल्लिखित भूमि सम्मिलित होगी।	स्तम्भ-3 में उल्लिखित गांव का क्षेत्रफल।		
			गाटों की संख्या	एकड़ में	हैक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
5356	सलूड़डुंग्रा	डुंग्रा	1852	388.523	157.297

